

1.05.2018

→ खरापली प्रेश ड्रि (कमील वाकी हासिर) मतिकामे से 2 हासिर  
खरापली रुफ अफलोडिंग किया गया। वादियात्रण के बाद प्र  
अंर्गत धारा 88, 89, 188, 205, 92A - RTI के तहत  
प्रेरा दिया, साथ चांदोलार्ह के खाल से नया - सुराग

<u>खाल से</u> <u>नया - सुराग</u>	<u>असत नम्बर</u>	<u>वदथा</u>	<u>दिस</u>
83-71	493	65-18-10	0702/0703
82-70	491 ?	01-19-10	जं. कुशल.
	516	06-12-10	0702



वाहियागण ने स्वयं समचक्र पुत्र के हाथों को वादकारित  
 भूमि को पैदा के आधार पर वाहियागण व लोकार्थ  
 अतिकारीगण का नाम राजस्थान जमाबंदी के तथ्य के 1/7  
 हिस्से का खालेफत करने की घोषणा करने का निर्देश  
 किया है, हमने अतीत वादी की संपत्ति व जमा  
 के उपलब्ध दस्तावेज का मसलौदन किया समचक्र  
 की विकास का नाम वाहियागण व अतिकारी ए.  
 192 तथा लोकार्थ अतिकारी से 4 के बाद इन  
 करने हेतु छद्म जारी की जावे तथा अतिकारी ए. 19  
 2 को जरिये उनके वादकारित मजदूर एवं विजयगण अतिकारी  
 एवं अन्य परिणामजन हामी लंबी श्यादी के जरिये  
 श्यादी निर्देशक शब्द किया जा रहा है कि वादकार  
 के अतिकारी आराजी के वादकारिता के संयुक्त करने  
 स्वाधित्य-आधिसूच से किसी तरह की बाधा उत्पन्न  
 नहीं रहे, न ही आराजी वादकारित को किसी अन्य  
 को बेचान-दस्तावेज श्यादी करने, न ही वादकारित  
 आराजी के उपेक्षा करने से रोके और न ही आरा  
 जाने से बाधा उत्पन्न करे। शर्त करिदुन अपना  
 अपना बहन करे। इस आशय की आरिथ पीडि  
 जारी हो।

निर्णय अरुत प्रेना डेनु विदला

में सुनाया गया

*प्रवा. 10/11/20*  
 सदस्य  
 लोक अदालत  
 सरवाड

*पुधा*  
 सदस्य  
 लोक अदालत  
 सरवाड

13  
**अध्यक्ष**  
 लोक अदालत शिविर  
 सरवाड (अजमेर)